प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगल पीठ:- माननीय आई.एम.कुद्दूशी एवं माननीय जी. मिनहाजुद्दीन, न्यायाधीशगण।

प्रथम अपील(वैवाहिकी) क्रमांक-68/2010

ब्रजेन्द्र सिंह ---अपीलार्थी/ आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती रेणु सिंह --प्रत्यर्थी/अनावेदक

उपस्थित:- अपीलार्थी कि ओर से श्री एच.एस.अहलूवालिया, अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी की ओर से तामिल उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 28 फरवरी 2012 को प्रदत्त)

जी. मिनहाजुद्दीन, न्यायाधीश,

1. यह अपील कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत, कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 06अ /2009 में 7 मई, 2010 को दिए गए निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी-वादी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह का विघटन करने के लिए दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया है।
2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्षों का विवाह 18.5.1989 को अकलतरा नगर, जिला जांजगीर-चांपा में हुआ था, और विवाह के बाद अपीलार्थी और प्रत्यर्थी, 2004 में तीजा त्योहार से एक हफ़्ते पहले तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहे थे। यद्यपि, बाकी तथ्य आक्षेपित हैं।
3. अपीलार्थी/वादी द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर आवेदन में बताए गए तथ्य ये हैं कि दोनों पक्षों का विवाह 18 मई, 1989 को अकलतरा नगर, जिला जांजगीर-चांपा में सम्पन्न हुआ था और विवाह के बाद से लेकर साल 2004

में तीजा त्योहार से एक हफ़्ते पहले तक, वे छुईखदान, जिला राजनांदगांव में अपने ससुरालमें पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे। विवाह से पहले, प्रत्यर्थी/पत्नी को स्त्री रोग संबंधी समस्या थी, और यह बात प्रत्यर्थी के परिवार वालों ने अपीलार्थी से छिपाई थी। इस वजह से, 15 साल बीत जाने के बाद भी, दोनों पक्षों की इस वैवाहिक संबंध से कोई संतान नहीं है। चिकित्सकों ने प्रत्यर्थी की जांच करने के बाद यह भी राय दी है कि स्त्री रोग संबंधी समस्या के कारण, प्रत्यर्थी के माँ बनने की कोई संभावना नहीं है।

4. आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी ने कभी भी अपने विवाह की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाईं और अक्सर अपीलार्थी या उसके परिवार वालों को बिना बताए अपने पिता या भाई के साथ अपने मायके चली जाती थी, और वहाँ काफी लंबे समय तक रहती थी, और उसके बाद वह अपने ससुराल लौट आती थी। हालाँकि, इस बारे में पूछे जाने पर, वह (प्रत्यर्थी) अपीलार्थी और उसके परिवार वालों को धमकाती थी कि वह अपने भाइयों से उन्हें पिटवा देगी और यह भी धमकी देती थी कि वह उन्हें या तो दहेज की माँग के प्रकरण में फँसा देगी या डीज़ल/पेट्रोल डालकर आग लगाकर मार डालेगी। साल 2004 में तीज के त्योहार से लगभग एक हफ़्ते पहले, प्रत्यर्थी अपने भाई शरद कुमार के साथ अपने मायके चली गई थी, और उसके बाद वह वापस नहीं लौटी और इस तरह उसने बिना किसी सही और उचित कारण के अपीलार्थी का साथ छोड़ दिया। इस तरह, पक्षकारों के बीच विवाद प्रत्यर्थी /पत्नी के दुर्व्यवहार और गलत कामों के कारण पैदा हुआ है। इन्हीं आधारों पर, अपीलार्थी /पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए आवेदन दायर किया गया था।

5. प्रत्यर्थी /पत्नी ने अपना लिखित कथन दिया और कहा कि 18 मई 1989 को शादी के बाद से वे एक-दूसरे के प्रति अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। पिछले सात सालों से, अचानक, अपीलार्थी /पति का व्यवहार अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) के प्रति बदल गया है और छोटी-छोटी बातों पर अपीलार्थी झगड़ा करने लगा और प्रत्यर्थी को पीटने लगा और उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहने लगा। अगस्त 2004 में, रक्षाबंधन और तीज के त्योहार मनाने के लिए, प्रत्यर्थी /पत्नी अपने पति (अपीलार्थी) की सहमति से अपने भाई के साथ अपने मायके गई थी और त्योहार मनाने के बाद, वह अपने पति (अपीलार्थी) का इंतजार कर रही थी कि वह आकर उसे वापस ससुराल ले जाए, लेकिन अपीलार्थी ने उसे वापस ले जाने की परवाह नहीं की। उनके समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार, रक्षाबंधन और तीज के त्योहार मनाने के लिए, पत्नी को उसके

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मायके वाले उसके मायके ले जाते हैं, और त्योहार मनाने के बाद, पति को आकर अपनी पत्नी को वापस ले जाना होता है। इस रीति-रिवाज के कारण, त्योहार मनाने के बाद, प्रत्यर्थी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वह आकर उसे अपने साथ वापस ले जाए, लेकिन अपीलार्थी उसे वापस लेने नहीं आया। उसने हमेशा अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन किया है और उसने कभी भी अपने पति (अपीलार्थी) या उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया नहीं है। प्रत्यर्थी /पत्नी अभी भी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार है, अगर अपीलार्थी उसे ठीक से रखने के लिए तैयार है। प्रत्यर्थी /पत्नी ने कहा है कि अपीलार्थी /पति के पास हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है और इसलिए अपीलार्थी /पति का आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

6. विद्वान कुटुंब न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित विषय-वस्तुओं की जांच करने के बाद, आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा अपीलार्थी/वादी की हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के आवेदन को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना, अधीनस्त न्यायालय के अभिलेख और साथ ही आक्षेपित निर्णय और डिक्री को देखा।

8. इस अपील में विनिश्चित किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी/पत्नी बिना किसी सही और उचित कारण के अपने मायके में रह रही है और इस तरह उसने अपीलार्थी/पति का साथ छोड़ दिया है और इस तरह उसके साथ क्रूरता की है?

9. अपीलार्थी /पति ने अपने कथन के कंडिका 12 में यह माना है कि वह अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को वापस लाने के लिए कभी अपने ससुराल नहीं गया। अपीलार्थी ने कंडिका 13 में यह भी माना है कि जब प्रत्यर्थी डॉ. श्रीमती कमला तिवारी के अस्पताल में 15 दिन रही, तो न तो वह और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य प्रत्यर्थी के साथ वहाँ रहा। कंडिका 14 के अनुसार, अपीलार्थी अपनी पत्नी को नियमित रूप से भरण-पोषण का खर्च नहीं दे रहा था, और कभी-कभी वह उसे 200 या 400 रुपये देता था। कंडिका 15 में, उसने माना है कि उसने अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को फ़ोन कॉल करने की अनुमति नहीं दी थी और उससे कहा था कि अगर वह किसी से फ़ोन पर बात करना चाहती है, तो वह उसकी उपस्थिति में ही होनी चाहिए। कंडिका 16 में, उसने माना है कि जब भी

प्रत्यर्थी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो वह कहता था कि उसे वह चीज़ अपने पिता के घर से लानी चाहिए।

10. अपीलार्थी /पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) को शुरू से ही स्त्री रोग संबंधी समस्या है, और इस बात को प्रत्यर्थी के परिवार वालों ने अपीलार्थी से छिपाया था। इस बात के सबूत के तौर पर कि प्रत्यर्थी को स्त्री रोग संबंधी समस्या है, अपीलार्थी ने दस्तावेज़ प्रदर्श पी /21 और पी /22 पेश किए हैं, जो डॉ. श्रीमती कमला तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रत्यर्थी श्रीमती रेनू सिंह की जांच के बाद लिखी गई पर्चियाँ हैं। यद्यपि, अपीलार्थी ने दस्तावेज़ प्रदर्श पी/21 और पी/22 को साबित करने के लिए डॉ. श्रीमती कमला तिवारी का परीक्षण नहीं करवाया है। दस्तावेज़ प्रदर्श पी /21 और पी /22 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि प्रत्यर्थी गर्भवती नहीं हो सकती।

11. अपीलार्थी/पति ने अपने अलावा राजू और रामसुख रजक को क्रमशः आवेदक साक्षी -2 और आवेदक साक्षी -3 के तौर पर पेश किया है। लेकिन इन साक्षियों के बयानों को देखने के बाद यह साफ है कि उनके कथन, कुल मिलाकर, अपीलार्थी के प्रकरण का समर्थन नहीं करते हैं और इसलिए वे अपीलार्थी के लिए लाभदायी नहीं हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अपीलार्थी/पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत आवेदन के कंडिका-3 में स्वयं यह तर्क दिया है कि उसने गांव-कोसा के विश्वनाथ सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह (सहायक प्राध्यापक, रायपुर), भोले श्याम सिंह (शिक्षक, घुरकोट), रमाकांत सिंह (शिक्षक, अकलतरा), लवकुमार सिंह (शिक्षक, अकलतरा), भंवर सिंह, भिलाई-3 और परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्यर्थी /पत्नी द्वारा दी जाने वाली धमकियों के बारे में बताया था। यद्यपि , अपीलार्थी /पति ने अपने प्रकरण के समर्थन में ऊपर बताए गए किसी भी व्यक्ति का परीक्षण नहीं करवाया है। दूसरी ओर, भोले श्याम सिंह और लवकुमार सिंह चंदेल की गवाही प्रत्यर्थी /पत्नी ने क्रमशः अनावेदक साक्षी -2 और अनावेदक साक्षी 3 के रूप में करवाया है। भोले श्याम सिंह (अनावेदक साक्षी -2) ने कहा है कि उन्होंने एक बार अपीलार्थी को सलाह दी थी कि अगर वह (अपीलार्थी) और उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) एक-दूसरे से नाराज़ हैं, तो उन्हें अपने मतभेद सुलझा लेने चाहिए और एक-दूसरे को मनाकर साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, जिस पर अपीलार्थी सहमत नहीं हुआ था। दूसरे गवाह लवकुमार सिंह चंदेल (अनावेदक साक्षी -3), जो अपीलार्थी के चाचा होने के नाते उससे और प्रत्यर्थी से भी संबंधित हैं, ने कहा है कि एक बार वह

रमाकांत सिंह के साथ अपीलार्थी के घर उसे समझाने गए थे कि वह (अपीलार्थी) और उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) साथ रहें, लेकिन अपीलार्थी ने जवाब दिया था कि वह अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को वापस लाने नहीं जाएगा और अगर वह (प्रत्यर्थी) वापस आना चाहती है, तो आ सकती है।

13. लिखित कथन और प्रत्यर्थी /पत्नी के कथन के अनुसार, यह साफ़ है कि साल 2004 में रक्षाबंधन और तीज के त्योहार मनाने के बाद, वह अपने पति (अपीलार्थी) का इंतज़ार कर रही थी कि वह आकर उसे अपने साथ ससुराल ले जाए, लेकिन अपीलार्थी नहीं आया। अपीलार्थी ब्रजेंद्र सिंह (आवेदक साक्षी-1), भोले श्याम सिंह (अनावेदक साक्षी-2) और लवकुमार सिंह (अनावेदक साक्षी-3) के कथन से यह साफ़ है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को वापस लाने के लिए तैयार नहीं था और उसने यह भी कहा था कि अगर प्रत्यर्थी वापस आना चाहती है, तो वह आ सकती है। प्रत्यर्थी /पत्नी (अनावेदक साक्षी-1) ने कहा है और यह भी बताया है कि, उनके समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार, रक्षाबंधन और तीज के त्योहारों के बाद प्रत्यर्थी /पत्नी को ससुराल वापस ले जाना अपीलार्थी /पति का कर्तव्य था। लेकिन साल 2004 में, रक्षाबंधन और तीज मनाने के बाद, जब वह (प्रत्यर्थी) अपने पति (अपीलार्थी) का इंतज़ार कर रही थी कि वह आकर उसे अपने साथ वापस ले जाए, तो अपीलार्थी उसे वापस लेने नहीं आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों को अहंकार की समस्या है और कुछ नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1989 में विवाह के बाद, वे अगस्त 2004 तक लगभग 15 सालों तक पति-पत्नी के तौर पर ससुराल में साथ रहे, और अब ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे पति-पत्नी के तौर पर साथ न रह सकें। न तो अपीलार्थी और न ही प्रत्यर्थी ने वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए कोई कोशिश की। अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों से सिर्फ़ यही निष्कर्ष निकलता है कि पक्षकारों के बीच अहंकार की समस्या के अलावा कोई विवाद नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी /पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने के लिए कोई भी आधार साबित करने में नाकाम रहा है, और माननीय कुटुंब न्यायालय ने अपीलार्थी की अर्जी रद्द करते हुए दिए गए निर्णय और डिक्री में कोई विधि-विरुद्ध कार्य या त्रुटि नहीं की है।

15. परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है तदनुसार ख़ारिज । कुटुंब न्यायालय, राजनांदगांव द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 06-ए /2009 में 7 मई 2010 को दिए गए निर्णय और डिक्री को पुष्ट किया जाता है। वादव्यय हेतु कोई आदेश नहीं है।

16. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) तदनुसार एक डिक्री तैयार करेंगे।

सही/-
(आई.एम.कुद्दूशी)
न्यायाधीश

सही/-
(जी. मिनहाजुद्दीन)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अधिवक्ता अभिषेक पांडेय द्वारा अनुवाद किया गया)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।